

ओरछा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)** ने ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के **इको-सेंसिटिवि ज़ोन** में पत्थर तोड़ने वाले और खनन खदानों के अवैध संचालन की शिकायत पर गौर करने के लिये एक समतिकि गठन किया।

- NGT के अनुसार, 337 टन रासायनिक अपशिष्ट के नपिटान, **भूजल प्रदूषण**, पाइप से पानी की कमी, और अनुमेय सीमा से अधिकलौह, मैंगनीज तथा नाइट्रेट सांद्रता की नगिरानी के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के वषिय में मुख्य बढि क्या हैं?

- परचिय:**
 - इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थति है।
 - यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में **बेतवा नदी** (यमुना की एक सहायक नदी) के पास स्थति है, जो इस अभयारण्य के अद्वितीय पारस्थितिकि तंत्र और जैव वविधिता में योगदान देती है।
- जीव प्रजाति:**
 - यह वभिन्न प्रकार के जीवों का आवास स्थल है, जनिमें **चतितीदार हरिण, बलू बुल, मोर, जंगली सुअर, बंदर, सयार, नीलगाय, सलॉथ भालू** और वभिन्न पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।
 - बर्डवॉचिंग** वशिष रूप से लोकप्रिय है, अभयारण्य के नदी पारस्थितिकि तंत्र में पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें नवासी पक्षी और प्रवासी प्रजातियाँ जैसे जंगली मुरगे, मोर, हंस, जंगल बुश बटेर, मर्निवेट आदि शामिल हैं।
- वन प्रकार:**
 - इसमें **दक्षिणी उषणकटबिंधीय शुषक परणपाती वन** हैं। अभयारण्य में धावा, करधई, सागौन, पलाश और खैर के घने वृक्ष हैं, जो इसकी समृद्ध जैववविधिता एवं प्राकृतिक वातावरण में योगदान करते हैं।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र क्या हैं?

- परचिय:**
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016)** ने निर्धारित किया कि राज्य सरकारों को **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत **राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कमी. के भीतर** आने वाली भूमिको **पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs)** अथवा पर्यावरण नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषित करना चाहिये।
- ESZs के आसपास गतविधियाँ:**
 - नषिद्ध गतविधियाँ:** वाणज्यिक खनन, परमुख **पनबजिली परियोजनाओं (HEP)** की स्थापना, लकड़ी का वाणज्यिक उपयोग।
 - वनिधिमति गतविधियाँ:** होटलों और रसोस्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का वाणज्यिक उपयोग, कृषिप्रणाली में भारी बदलाव, जैसे भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना।
 - अनुमत गतविधियाँ:** **वर्षा जल संचयन, जैविक खेती**, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग।
- ESZs का महत्त्व:**
 - मुख्य पारस्थितिकि क्षेत्रों की रक्षा करना:**
 - यह वनिरिमाण और प्रदूषण **जैसी गतविधियों** के प्रभाव को कम करने वाले **बफर ज़ोन** के रूप में कार्य करता है।
 - वन्य जीवन और पारस्थितिकि तंत्र के लिये खतरों को कम करता है।**
 - प्राकृतिक आवासों के भीतर **स्वस्थाने संरक्षण को बढ़ावा** देता है।
 - सतत् विकास को सुनिश्चित करना:**
 - असंतुलन को कम करके **मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम** करता है।
 - नकिसंस्थ समुदायों में **सतत् प्रथाओं** को प्रोत्साहित करता है।

- उच्च-सुरक्षा और नमिन-प्रतर्बिध क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र नरिमति करता है ।

और पढ़ें: [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधनियिम, 1972](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में संरक्षण क्षेत्रों की नमिनलखिति में से कसि एक श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? (2012)

- (a) बायोस्फीयर रज़िर्व
- (b) राष्ट्रीय उद्यान
- (c) रामसर कन्वेंशन के तहत घोषति आर्द्रभूमि
- (d) वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/illegal-mining-in-orchha-wildlife-sanctuary>

